न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष :**मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2230–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 26/निगरानी/11–12

.....

रघुवीर सिंह आ0 श्री हीरालाल जाट
निवासी ग्राम अमरावगंज तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध
मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन

..... अनावेदक

– – –

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/4/16 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम उमरावगंज स्थित भूमि सर्वे कमांक 111 व 164 रकबा 0.077 व 0.522 एकड़ नोईयत रास्ता आबादी आवासीय योजना में से 0.077 एवं 0.081 एकड़ पर आवेदक द्वारा फसल बोकर अवैध अतिकमण किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–68/11–12 दर्ज कर दिनांक 26–11–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक को बेदखल करने के निर्देश दिये जाकर रुपये 500/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । तहसीलदार के

आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–1–2012 को आदेश पारित कर निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2011 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को विधिवत् कारण बताओं सूचना पत्र नहीं दिया गया है और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार की पूरी कार्यवाही आवेदक की अनुपस्थिति में फर्जी रूप से की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति को दण्डित किया जा रहा है, उसे सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देना चाहिये । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुये ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा दिनांक 4–1–2012 को निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता में दिनांक 30–12–2011 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अपर कलेक्टर के निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार समाप्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं उचित है कि उन्हें निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश के पालन में दिनांक 2–12–2011 को आवेदक द्वारा किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया जा चुका है, इस कारण इस न्यायालय में प्रस्तुत यह निगरानी निरर्थक हो गई है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालयों सहित इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका

है, जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका स्वत्व है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2012 एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2011 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर